

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

(पीठासीन अधिकारी, अभिमन्यु कुमार, आई.ए.एस.)


बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीणा बैंक शाखा हिण्डौनसिटी जरिये प्राधिकृत अधिकारी - प्रार्थी
बनाम्

1. मैसर्स संजय कुमार तनुज कुमार जरिये प्रो. श्री संजय कुमार मित्तल, पुरानी अनाजमंडी मंदिर के पास, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, - अप्रार्थी/ऋणी
2. सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री गजानंद गुप्ता, प्लॉट नं. डी-2, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी
3. श्याम सुन्दर पुत्र श्री प्रीतम चंद महाजन, प्लाट नं. सी-59, मोहन नगर, हिण्डौनसिटी, जिला करौली - जमानतीगण

मु.नं. 64/18 कि.मु.-धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002

तारीख रजु-19.12.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-12-2018	<p>प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी/ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से 2,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने संजय कुमार पुत्र बजरंग लाल की अचल सम्पत्ति मोहन नगर, हिण्डौनसिटी जिला करौली के खसरा नं. 1956 रकबा 545.11 वर्गगज (आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड) जिसके पूर्व में प्लाट श्री गोपाल अग्रवाल, पश्चिम में श्री कस्तूर चंद जैन का मकान, उत्तर में रोड एवं दक्षिण में सरकारी भूमि स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।</p> <p>अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 30.09.2017 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 02.12.2017 तक 2,15,956/- (राशि दो लाख पंद्रह हजार नौ सौ छप्पन मात्र) रुपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 15.01.2018 को अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं करवाई गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक के द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 15.01.2018 को अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 के बाद भी अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के जमा नहीं की गई है। प्रार्थी बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने संजय कुमार पुत्र बजरंग लाल की अचल सम्पत्ति मोहन नगर, हिण्डौनसिटी जिला करौली के खसरा नं. 1956 रकबा 545.11 वर्गगज (आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड) जिसके पूर्व में प्लॉट श्री गोपाल अग्रवाल, पश्चिम में श्री कस्तूर चंद जैन का मकान, उत्तर में रोड एवं दक्षिण में सरकारी भूमि स्थित है, को अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेते हुए प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <u>19-12-2018</u> को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (अभिमन्यु कुमार) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली </p>	